साथियों,

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोर किसान विरोधी तीन काले कानूनों व बिजली अधिनियम 2020 को लागू किया गया। यह कानून एक ऐसे समय में लाया गया जब सारा देश कोरोना महामारी के चलते एक भयानक स्थिति का सामना कर रहा था। साथ ही सरकार द्वारा तमाम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए मनमाने रूप से इन्हें अध्यादेश के जरिए लागू किया गया। यह साफ दर्शाती है कि सरकार किस तरह से इस आपदा की स्थिति को भी पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए एक अवसर के रूप में इसका फायदा उठा रही है। इन नीतियों के खिलाफ देशभर के लगभग 500 किसान संगठनों का संयुक्त मोर्चा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 26-27 नवंबर को देशभर के किसानों से दिल्ली चलो का आह्वान किया था। जिसके जवाब में देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ रवाना हुए। पूंजीपति परस्त केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए रास्ते में तरह-तरह के व्यवधान उत्पन्न किए। दिल्ली से सटे तमाम राज्यों की सीमाओं को बड़ी-बड़ी चट्टाने, बैरीगेट, कटीले तारों की बाड़े ,रास्तों को खोदकर व भारी पुलिस की तैनाती कर सील किये गये। साथ ही किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस के गोलों व लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन इन सबके बावजूद भी सरकार किसानों को दिल्ली पहुंचने से नहीं रोक पाई और लाखों किसान दिल्ली की सीमा तक पहुंच गए। हम किसानों के इस बहादुराना संघर्ष को सलाम करते हैं। पिछले कई दिनों से लाखों की संख्या में किसान तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर अपना आंदोलन संचालित कर रहा है लेकिन सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। आखिर इन कानूनों को सरकार क्यों रद्द नहीं करना चाहती, आइए जानते हैं इन कानूनों के बारे में।

कृषक उपज व्यापार वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) अध्यादेश

इस फरमान से हर राज्य में मार्केट कमेटी की अनाज मंडियों का दायरा सीमित कर दिया है और बेशुमार पूंजी के मालिक मुनाफाखोर कंपनियों के हित में प्राइवेट अनाज मंडियों को खोलने की अनुमति दे दी है। इन कंपनियों को अब तमाम फसलें, पशुधन, डेयरी, दूध आदि देश में कहीं भी बेरोकटोक खरीदे बेचने के फ्री लाइसेंस दिए जाएंगे। इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। फसलों की क्वालिटी में कुछ कमी बताकर यह मनमर्जी के भाव तय करेंगी। नतीजतन पूरे देश के कृषि बाजार पर लुटेरी कंपनियों का पूरा कब्जा हो जाएगा। जिससे किसानों की गर्दन उनकी मुट्ठी में आ जाएगी।

एक देश एक बाजार के नारे के साथ सरकार की यह दलील बिल्कुल भ्रामक व धोखाधड़ीपूर्ण है की कृषि मंडी बाजार को प्राइवेट हाथों में देने से किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। हमारे देश में ज्यादातर किसान छोटे व मध्यम दर्जे के हैं उनमें से बहुत सारे अपनी फसल नजदीकी मंडी तक भी नहीं ले जा पाते। उन्हें औने पौने दामों पर ही अपनी फसल बेचनी पड़ती है। तब कोलकाता, मुंबई, चेन्नई व अन्य शहरों तक आखिर वह अपनी फसल कैसे ले जाएंगे, और कौन व्यापारी किसानो का अनाज खरीद कर बाहर ले जाने का भाड़ा भुगतान करेगा। बिहार में 2006 से एपीएमसी मंडीयां नहीं है लेकिन वहां तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई बल्कि स्थिति और खराब हुई है। बड़ी कंपनियों को किसान उपभोक्ता यार्ड यानी खुदरा व्यापार केंद्र खोलने के लिए इजाजत दी गई है वे इनमें भारी पूंजी लगाकर खेती उपज के खुदरा व्यापार पर भी कब्जा जमा लेंगे। इससे गरीब मजदूर किसान आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटे दुकानदार भी चौपट हो जाएंगे अंबानी की रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां पहले से ही खुदरा क्षेत्र में छोटे शहरों तक पहुंच चुकी है। एक देश एक मार्केट की असल तस्वीर यही होगी।

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन पर कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020

इनमें अनुबंध खेती योजना को बढ़ावा दिया गया है। फसल बुवाई से पहले ही कंपनियों और किसानों के बीच समझौता दर्ज होंगे। जिनमें भाव और लेनदेन की शर्त तय होगी। इसमें मनमानी हमेशा कंपनी की ही चलती है। मेहनत करेगा किसान और मालामाल होगी कंपनियां। शेर और बकरी को भला कभी एक घाट पर पानी पिलाया जा सकता है? इन कंपनियों को बिचौलिए रखने की भी इजाजत दी गई है। विवाद होने पर अदालत जाने पर रोक है यह कंपनियां शुरु शुरु में तो तरह-तरह से लुभाती हैं परंतु बाद में इनके चंगुल से निकलना मुश्किल हो जाता है।

आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश

इसमें व्यापारिक कंपनियों को 6 आवश्यक चीजें जिसमें अनाज, दाल, आलू, प्याज, सरसों आदि तिलहन व खाने के तेल है, का स्टॉक असीमित मात्रा में जमा रखने का अधिकार दिया गया है। जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु कानून 1955 में इन पर अंकुश था। इसे अब हटा लिया है। जितना भी चाहे उतना माल रखने की कंपनियों को खुली छूट दी गई है। आखिर क्यों? आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा? साफ जाहिर है कि यह कंपनियां गोदामों में भारी मात्रा में माल जमा कर और बाजार में इनकी बनावटी कमी दिखाकर दैनिक जरूरतों की इन 6 चीजों को ऊंचे से ऊंचे दामों पर बेचेगी। इससे महंगाइ, भुखमरी और ज्यादा बढ़ेगी। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस में

सरकार खुद भयंकर रूप से लूट रही है।

समर्थन मूल्य देन में यदि सरकार की दिलचस्पी सचमुच ही किसानों का भला करने की होती तो वह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल की लागत से डेढ़ गुना देने की गारंटी देती लेकिन बड़े पूंजीपतियों की दावेदार होने के कारण सरकार की इस में कोई दिलचस्पी नहीं है। ध्यान रहे न्यायसंगत समर्थन मूल्य तब तक नहीं मिल सकता जब तक की फसलों की लागत खर्च में जमीन का प्रति एकड़ किराया, बैंक के कर्ज की ब्याज की रकम और कृषि औजारों की घिसाई के हरजनों को हिसाब में नहीं लिया जाएगा। इस बार हरियाणा, पंजाब सहित पूरे देश में मक्का व सूरजमुखी के दाम घोषित समर्थन मूल्य से आधे भी नहीं मिले। यह सरकारी नीतियों का ही नतीजा है।

बिजली संशोधन कानून 2020

मोदी सरकार बिजली के उत्पादन से लेकर वितरण तक इसे प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे रही है जाहिर है यह कंपनियां बिजली बिलों पर भारी मुनाफा वसूल करेगी। खेती के लिए मुफ्त व गरीब उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बिजली की स्कीमें खत्म हो जाएंगी। किसानों को फुल रेट पर बिजली बिल भरने होंगे। कर्ज में दबे किसान इतने बिल भरने के लिए पैसे कहां से लाएंगे। घरेलू कनेक्शनों, छोटे दुकानदारों व कारोबारियों पर भी भारी बोझ पड़ेगा।

साथियों, देश की राजधानी दिल्ली में लंबे समय से आंदोलनरत लाखों किसानों के साथ एकजुटता रखते हुए व आंदोलन की को मजबूत करने के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश में विभिन्न किसान संगठनों का संयुक्त मंच 'संयुक्त किसान मोर्चा' गठित किया गया है। लंबे समय तक सफलतापूर्वक आंदोलन को चलाने और जीत को सुनिश्चित करने के लिए जनता को आंदोलन में शामिल कराना अत्यंत जरूरी है, ताकि वे संसदीय राजनीतिक पार्टियों के झांसे में ना आकर जनता के वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति का विकास करें। अत: हम विशेषत: किसानों से व सामान्यत: आम जनता से अपील करते है कि 23 दिसंबर से भोपाल के नीलम पार्क में शुरू हो रहे हैं किसान सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस आंदोलन को हर संभव प्रकार से सहायता देकर मजबूत करें।

हर जोर जुल्म की टक्कर में..
संघर्ष हमारा नारा है..!!

संयुक्त किसान मोर्चा, भोपाल की ओर से इरफान जाफरी द्वारा प्रकाशित
संपर्क: 9752172786, 9926259382, 9774230090, 7869556003, 8871110251

कौन बनाता हिंदुस्तान..? भारत का मजदूर-किसान..!!

किसान विरोधी तीन कृषि कानूनों व बिजली संशोधन कानून 2020 के खिलाफ

और

दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में

किसान सत्याग्रह

में बड़ी संख्या में शामिल हो..!

23 दिसंबर से आरंभ

स्थान: नीलम पार्क, लिली टॉकीज के समीप, भोपाल

संयुक्त किसान मोर्चा